राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : -4 OCT 2021

आदेश

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 69-ए के प्रावधान जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, की धारा 54ई, जोधपुर व अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 50बी, नगर सुधार अधिनियम की धारा 60 (सी) अधिसूचना द्वारा दिनांक 23.09.2021 को जोड़े गए हैं।

राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम, 2015 (2021 से यथा संशोधित) दिनांक 20.09.2021 को अधिसूचित की गई है एवं अधिसूचना दिनांक 29.09.2021 द्वारा दरों का निर्धारण भी किया गया है।

प्राधिकरण व न्यास क्षेत्र में उक्त संबंध में नियम बनाये जाना प्रस्तावित है, तब तक राजस्थान नगर पालिका (अकृषि भूमि का अभ्यार्पण एवं फ्री होल्ड पट्टा) नियम, 2015 निम्न संशोधन के साथ प्राधिकरण व न्यास क्षेत्र में लागू किये जाते है। (स्वायत्त शासन विभाग द्वारा इन नियमों के अंतर्गत जारी की गई दरें व समस्त आदेश व परिपत्र लागू होंगे):-

(i) **नियम, 2015 के नियम 2(1)(क) :-** ''अधिनियम'' से तात्पर्य जयपुर के लिए जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर के लिए जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर के लिए अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 एवं नगर विकास न्यासों के लिए नगर सुधार अधिनियम, 1959 अभिप्रेत है।

(ii) **नियम, 2015 के नियम 2(1)(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" :-** राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 2 के खण्ड (ii) के अंतर्गत अनुज्ञा प्रदान करने के लिये प्राधिकृत अधिकारी ही नियम, 2015 में प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

(iii) **नियम, 2015 के नियम 6(4) :-** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा जारी करने से पूर्व प्राधिकरण में आयुक्त व न्यास में सचिव (सचिव प्राधिकृत अधिकारी नहीं होने की स्थिति में) से अनुमोदन प्राप्त करेगा।

(iv) **नियम, 2015 के नियम 7, 9 व 11 :-** प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अनुज्ञा पारित करने के पश्चात आगे फ्री होल्ड पट्टा देने की समस्त कार्यवाही कृषि भूमि के पट्टे देने के समान ही स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्पादित की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव-प्रथम

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
7. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
8. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग
9. सचिव, समस्त विकास प्राधिकरण/नगर विकास न्यास।
10. उप नगर नियोजक, नविवि।
11. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
12. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव-प्रथम